SST No. 75/ 2018
Crime No 642/2017
State Vs Puran Lal Ors
U/s 323/34, 504, 506 I.P.C. & 3(1)dha sc/st Act

UPPB010025462018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 75 / 2018

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. पूरन लाल पुत्र झम्मन लाल,
2. अशोक कुमार पुत्र पूरन लाल,

निवासीगण ग्राम इग्घरा थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

अपराध संख्या– 642 / 2017
धारा 323 / 34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3(1)(ध) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट
थाना– बरखेड़ा,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण पूरन लाल व अशोक कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(ध) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र इस न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस विशेष सत्र परीक्षण में उक्त अभियुक्तगण का विचारण उक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वह ग्राम इग्घरा थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत का रहने वाला है। वह दिनांक 22.10.2017 को अपने घर पर अपने जानवरों को चारा डालने जा रहे थे, तभी उसके गांव के अशोक कुमार पुत्र पूरनलाल व पूरन लाल पुत्र झम्मन लाल उससे कहा कि धुबेटा मैंने जो मुकदमा खत्म करवा दिया, तूने मुझ पर फिर समन कटवा दिये। मैंने हाईकोर्ट भेज दिये, तुमने वकील खड़ा कर दिया, साले धुबेटे जान से मार देंगे, तब अपनी जमानत करागे, दो बीघा खेत बेचकर लगा देंगे तथा उसे डण्डों से मारापीटा।

(3) उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत में अपराध संख्या 642 / 17 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0, धारा 3(1)ध एस0सी0 / एस0टी0 में अभियुक्तगण अशोक कुमार व पूरनलाल के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ हुई। थाना हाजा की पुलिस द्वारा वादी को चिट्ठी मजरूबी देकर उसका चिकित्सीय परीक्षण सी.एच.सी. बरखेड़ा में कराया गया। विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयानात लिये, घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी बनाया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत प्रथ[illegible] साक्ष्य

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.06.22 16:30:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संकलन के आधार पर अभियुक्तगण अशोक कुमार व पूरनलाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं धारा 3(1)(ध) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

(4) अभियुक्तगण पूरन लाल व अशोक कुमार के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(ध) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.2019 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करके विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 रामसरन, पी0डब्लू0 2 सरोजनी देवी व पी.डब्लू. 3 हेड.का. पारस यादव को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	रामसरन	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	सरोजनी देवी	–	–
3	पी.डब्लू. 3	हेड का. पारस यादव	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4	एफ.आई.आर. नक्शानजरी हस्ताक्षर पुष्टि

(7) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, इंजरी रिपोर्ट व घटनास्थल नक्शानजरी की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

(8) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण पी.डब्लू. 1 के साक्ष्य के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है। साक्षी पी.डब्लू. 2 व 3 के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। वे निर्दोष है, उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चला है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथ्य के साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा पी.डब्लू. 2 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, परन्तु मात्र इन कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। साक्षी पी.डब्लू. 3 औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा अपने प्रपत्र को साबित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन

कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू. 1 व 2 द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(12) अभियुक्तगण पर धारा 323 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(ध)एस0सी0/एस0टी0 अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय से वादी मुकदमा रामसरन को डंडों से मारपीट करके स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, गंदी गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी दी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर उसकी जाति को संबोधित करते हुए अपमानित किया गया है।

(13) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 1 रामसरन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना आज से करीब सात वर्ष पुरानी है। मैं अपने जानवरों को चारा डालने जा रहा था। अचानक गांव के अशोक कुमार व पूरनलाल ने जातिसूचक शब्द बोलते हुए कहा कि तूने हम पर मुकदमा किया है। अब तेरी खैर नहीं, मारने पीटने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये, तो दोनों चले गये। मैंने थाने पर लिखित तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया। थाने से ही मुझे बरखेड़ा के सरकारी अस्पताल भेजा गया। जहां मेरी डाक्टरी हुई। पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर को देखकर गवाह ने उस पर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक की, जिसके आधार पर तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि''मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हू, इसलिए घटना की तारीख व समय ठीक ठीक नहीं बता सकता। तहरीर मैंने किससे लिखवायी थी, मुझे याद नहीं है। मुझे पढ़कर नहीं सुनायी थी। यह बात सही है कि मेरे जानवर पूरनलाल के खेत में गलती से चले गये थे, इसलिए हम में मामूली कहासुनी हुई थी। जानवरों को पकड़ते समय ही मैं फिसल कर गिर गया था। मुझे मामूली चोटे आयी थी। पूरनल लाल व अशोक में से किसी ने भी कभी मुझे जातिसूचक शब्द कहते हुए न तो गाली गलौज मारपीट की और न ही जान से मारने की धमकी दी। आज की तारीख मे मुझे किसी मुल्जिम से कोई शिकायत नहीं है। घटना के समय भी गांव वालों के बहकावे में आकर मैंने रिपोर्ट लिखा दी थी।'' अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि'' यह कहना गलत है कि एक ही गांव के होने के कारण मैं मुल्जिमान से मिल गया हूॅ या किसी डर या लालच में अदालत में झूठ बोल रहा हूॅ। गवाह को उसके धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाये गये, उसने कही ऐसा बयान देने से इन्कार किया व कहा कि यह बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता।

(14) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है, जिसके द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि उसके जानवर पूरन लाल के खेत में

गलती से चले गये थे, इसीलिए उनकी मामूली कहासुनी हो गयी थी। जानवरों को पकड़ते समय ही वह फिसल कर गिर गया था, जिससे उसे मामूली चोटें आयी थी। पूरन लाल व अशोक कुमार में से किसी ने भी कभी उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए न तो गाली गलौच व मारपीट की और न ही जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय भी गांव वालों के बहकावे में आकर उसने रिपोर्ट लिखा दी थी। अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया गया है। इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से इतर कथन किये जाने से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(15) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 सरोजनी देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना हुये कई वर्श हो गये हैं, मुझे घटना का दिन व समय याद नहीं है। मेरे पति राम सरन अपने जानवरों को चारा डालने जा रहे थे। तभी गांव के अषोर कुमार और पूरनलाल से कहासुनी होने लग गयी। षोर सुनकर मैं घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर काफी भीड़ थी। मेरे पति रामसरन को किसने मारा था। मैंने नहीं देखा था तथा किसने उसे जाति सूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी थी, भीड़ होने के कारण मैं देख और सुन नहीं पायी थी। सी.ओ. साहब ने मुझसे घटना के सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की थी।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''गवाह को 161 दं.प्र.सं. का वयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैने पुलिस को ऐसा कोई वयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकती। भीड़ होने के कारण मैं देख और सुन नहीं पायी थी कि मेरे पति को किसने मारा था, तथा किसने जान से मारने की धमकी व जाति सूचक गालियां दीं थीं। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह ने कहा कि इन्होंने कोई घटना कारित नहीं की। यह कहना सही है कि मैं अभियुक्तगण पूरनलाल व अषोक कुमार को जानती हूँ, यह कहना भी सही है कि अभियुक्तगण पूरनलाल व अषोक कुमार मेरे ही गांव के हैं लेकिन यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को जानने पहचानने के कारण मैं मा. न्यायालय को सही बात नहीं बता रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं भय, लालच, डर, या दबाब में वयान दे रही हूँ।''बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि''हाजिर अदालत अभियुक्तगण पूरनलाल व अशोक कुमार ने मेरे पति के साथ कोई घटना कारित नहीं की थी। पुलिस ने मेरा कोई वयान नहीं लिया था। मैंने घटना कारित करते हुये किसी को नहीं देखा था।''

(16) इस प्रकार यह साक्षी वादी मुकदमा की पत्नी है। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में कथित घटना के समय भीड़ होने के कारण वह देख और सुन नहीं पायी कि उसके पति रामसरन को किसने मारा, किसने जातिसूचक गालियां दी व किसने जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया गया है तथा यह भी कथन किया कि हाजिर अदालत मुल्जिमान ने कोई घटना कारित नहीं की है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर एवं विपरीत कथन किये जाने से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(17) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 3 हेड का. पारस यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''दिनांक 22.10.2022 को मैं थाना बरखेड़ा पर तैनात था। उस दिन 20:30 बजे रामसरन पुत्र गिरधारी लाल, निवासी ग्राम इधरा थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत एक किता प्रार्थना पत्र लेकर आया, जिसमें मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी का हिन्दी लिखित प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक महोदय के नाम दिया, प्रभारी निरीक्षक महोदय के मौखिक अदेश पर थाना हाजा पर मु.

अ.स. संख्या 642/2017 अंतर्गत धारा 323, 504 व 506 भा.द.स. व धारा 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम सी.सी.टी.एन.एस. पर बोल बोल कर किता करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या क4/1 लगायत क4/2 है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। जिसकी कायमी जी.डी. सं. 54 पर दिनांक 22.10. 2017 समय 20:30 बजे कम्प्यूटर ऑपरेटर पर बोल बोल कर टाइप करायी थी, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या क–5 है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। प्रदर्श क–1 के पृष्ठ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे देखकर मैं प्रमाणित कर रहा हू, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। एफ.आई.आर. पर वादी मुकदमा रामसरन के हस्ताक्षर है। रामसरन ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि'' प्रार्थना पत्र मेरे सामने नहीं लिखा गया था। प्रार्थना पत्र पर जो हस्ताक्षर थे, वह भी पहले से ही थे। मैं रामसरन का कोई पहचान पत्र नहीं लिया था। मैंने प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश मुकदमा दर्ज किया था। लिखित आदेश नहीं था। मैंने रामसरन से यह नहीं पूछा यह प्रार्थना पत्र किससे लिखवाया है। प्रार्थना पत्र पर किसी भी लेखक का नाम दर्ज नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने एफ.आई.आर. एन्टीटाइम दर्ज की हो। यह भी कहना गलत है कि उच्च अधिकारियों के दबाव में मुकदमा दर्ज कर लिया हो।''

(18) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले में एफ.आई.आर. लेखक है, जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी.डी. को साबित किया गया है, जिसके अतिरिक्त इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(19) प्रस्तुत मामले में तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रामरतन को डंडों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, गंदी गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए साशय गंदी–गंदी गालियां देकर जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर अपमानित किये जाने के तथ्य को नकारा गया है। उपरोक्त साक्षीगण की प्रतिपृच्छा मे भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नही आया है जिससे अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का समर्थन मिलता हो। इस स्तर पर पत्रावली में अभियुक्तगण के विरूद्ध एस0सी0/एस0सी0 अधिनियम का अपराध कारित किये जाने एवं कथित घ टना कारित किये जाने के संबंध में कोई भी विश्वसनीय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(20) जहां तक अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, इंजरी रिपोर्ट, व घटनास्थल नक्शानजरी का प्रश्न है। उक्त प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। निसन्देह अभिलेखीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है परंतु अभिलेखीय साक्ष्य उसी स्थिति में महत्वपूर्ण है जबकि उसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा की गयी हो। वर्तमान मामले में अभिलेखीय साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जब तक कि उक्त अभिलखों की पुष्टि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(21) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी

भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(22) उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण पूरनलाल व अशोक कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323/34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण पूरनलाल व अशोक कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323/34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण 75/2018, मुकदमा अपराध संख्या 642/2017 में अभियुक्तगण पूरन लाल व अशोक कुमार को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323/34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण प्रत्येक धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें।

(राम किशोर IV)

दिनांकः 22.06.2026

विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)

दिनांकः 22.06.2026

विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।